संशोधित

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## उत्तर प्रदेश

## मुख्य वार्षिक परीक्षाओं हेतु

# निर्देश 2022–23

## (लिखित एवं OMR आधारित परीक्षा 2022–23 के लिए)

# परीक्षा नियंत्रक

**छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,**
**कल्यानपुर, कानपुर–208024**

### मुख्य वार्षिक परीक्षाओं हेतु दिशा निर्देश

सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय के कार्यालय विज्ञप्ति संख्या सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय/सी0ओ0ई0/505/2023 दिनांक–20.04.2023 के द्वारा सत्र 2022–23 हेतु मुख्य वार्षिक का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम के साथ–साथ परीक्षा सम्पादन प्रक्रिया से जुड़े अन्य निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जा रहे हैं। परीक्षा के सफल संचालन हेतु इन निर्देशों का सम्यक अध्ययन अति आवश्यक है। इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश

शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग–1) द्वारा निर्गत पत्र संख्या–9/2018/1036/सत्तर–1–2018–16(9)/2018, दिनांक 15 नवम्बर 2018, 01/2020/17/सत्तर–1–2020–16(9)/2018, दिनांक–03 जनवरी, 2020 एवं 1043/सत्तर–1–2022–16(9)/2018, दिनांक–08 अप्रैल, 2022 (छाया प्रति संलग्न) का अक्षरशः पालन किया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी केन्द्राध्यक्षों की होगी।

A. विश्वविद्यालय की कार्यालय विज्ञप्ति संख्या सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय/सी0ओ0ई0/505/2023 दिनांक–20.04.2023 के द्वारा इन परीक्षाओं की लिखित एवं बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों की परीक्षा तीन पालियों में कराये जाने का (07:00 AM से 10:00 AM, 11:00 AM से 02:00 PM एवं 03:00 PM से 05:00 PM) कार्यक्रम जारी किया गया है।
B. सत्र 2022–23 हेतु संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा आब्जर्वर की तैनाती की जायेगी।
C. सत्र 2022–23 की परीक्षा शासन द्वारा जारी कोविड–19 प्रोटोकाल एवं विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी।
D. **कोविड–19 महामारी के प्रोटोकाल के दृष्टिगत महाविद्यालय परिसर में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा।**
E. इस बार केन्द्रों द्वारा विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के उत्तरोपरान्त प्राप्त की गयी उत्तरपुस्तिकायें/OMR प्रतिदिन स्पीड–पोस्ट से पोस्ट आफिस को सांय 6.00 बजे तक भेज दी जाय।
F. रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकायें जनपद कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई एवं रायबरेली के परीक्षा केन्द्रों द्वारा सायं 06:00 बजे तक अपने नोडल केन्द्र पर जमा करायी जायेंगी तथा नोडल केन्द्रों द्वारा उक्त उत्तरपुस्तिकायें अगले दिन सोमवार को प्रातः 11:30 तक अपने मैप्ड पोस्ट आफिस से स्पीड–पोस्ट द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं जनपद कानपुर नगर के परीक्षा केन्द्रों द्वारा उक्त उत्तरपुस्तिकायें सीधे विश्वविद्यालय के कोडिंग विभाग में जमा करायी जायेंगी।
G. परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट बाद तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश पाने की अनुमति होगी।
H. देर से आने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व की भांति कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
I. महाविद्यालय के बाहर और परिसर में सीटिंग प्लान इस तरह से डिस्प्ले किया जाये कि छात्रों की भीड़ एक जगह एकत्र न होने पाये और सोशल डिस्टेन्सिंग बनी रहे।
J. परीक्षार्थी को पूरे समय परीक्षा में उपस्थित रहना है। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के समय परिसर से बाहर नहीं जायेगा।
K. मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट्स परीक्षा कक्ष में पूर्णतयः वर्जित हैं। परीक्षार्थी एवं कक्ष निरीक्षक दोनों ही मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट्स परीक्षा कक्ष में नहीं ले जायेंगे, अन्यथा की स्थिति में UFM के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, **तथा मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रानिक गैजेट्स जब्त कर लिये जायेंगे।**

**केन्द्राध्यक्ष हेतु निर्देश :–**

A. शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों पर सामान्यतया उसी महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या, जहां परीक्षा केन्द्र है, उस

केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को भी केन्द्राध्यक्ष बनाया जा सकता है।

B. परीक्षा कार्य हेतु लगाये गये समस्त कर्मचारियों के फोटो लगे परिचय–पत्र जिनमें उनकी शैक्षिक योग्यता/विषय आदि सहित पूर्ण विवरण अंकित हो बनवाया जाये।

C. परीक्षाओं को सुचारु रूप से कराने एवं परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभावी बनाने के उद्‌देश्य से सभी परीक्षा केन्द्रों पर एक अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। केन्द्राध्यक्ष को यह ध्यान रखना होगा कि अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति का प्रस्ताव वरिष्ठ अध्यापकों में से ही करेंगे वे पूर्ण रूप से परीक्षा कार्य के प्रति उत्तरदायी माने जायेंगे।

D. परीक्षार्थी की तलाशी लेते समय कोविड–19 प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

E. महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर परीक्षा के समय ताला ना लगाया जाये लेकिन सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था की जाये।

F. महाविद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी जिनके पालित परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको परीक्षा कार्य से विरत रखा जाये।

G. परीक्षा कार्य सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु केन्द्राध्यक्ष निम्नलिखित विवरणानुसार एक पाली में पंजीकृत परीक्षार्थियों के अनुसार सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति कर सकते हैं:

परीक्षार्थी संख्या 001 से 100 तक पर एक
परीक्षार्थी संख्या 101 से 300 तक पर दो
परीक्षार्थी संख्या 301 से 500 तक पर तीन
परीक्षार्थी संख्या 500 से अधिक पर चार अधिकतम्।

सहायक केन्द्राध्यक्ष उसी विद्यालय के अध्यापक होने चाहिये, जिन्हें वरिष्ठता के चक्रीयक्रमानुसार नियुक्त किया जाये।

H. (i) (प्रत्येक 20 छात्रों के लिये एक कक्ष–निरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी परन्तु किसी भी एक कक्ष में दो से कम कक्ष–निरीक्षक नहीं रहेंगे।

(ii) जिन अध्यापकों की ड्‌यूटी कक्ष–निरीक्षक के रूप में लगायी जाये उनके पास फोटो युक्त परिचय–पत्र का होना अनिवार्य है।

(iii) केन्द्राध्यक्ष ऐसे अध्यापकों को जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हो रहें हों, कदापि कक्ष–निरीक्षक नियुक्त न करें, चाहें उसके प्रश्न–पत्र की परीक्षा समाप्त ही क्यों न हो गयी हो।

I. उत्तर प्रदेश शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग–1) द्वारा निर्गत पत्र संख्या–9/2018/1036/सत्तर–1–2018–16(9)/2018, दिनांक 15 नवम्बर 2018, 01/2020/17/सत्तर–1–2020–16(9)/2018, दिनांक–03 जनवरी, 2020 एवं 1043/सत्तर–1–2022–16(9)/2018, दिनांक–08 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न) में परीक्षा केन्द्रों पर समुचित व्यवस्था एवं परीक्षा को शुचिता पूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

J. **आन्तरिक उड़नदस्ते का गठन (आवश्यकता पड़ने पर)–**

आन्तरिक उड़नदस्ता की व्यवस्था निम्नलिखित विवरणानुसार अनुमन्य होगी–

i. प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 50 तक पर कोई उड़नदस्ता नहीं होगा।

ii. प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 51 से 100 तक 01 उड़नदस्ता 02 सदस्यीय।

iii. प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 101 से 500 तक के लिये 02 उड़नदस्ता प्रत्येक 02 सदस्यीय।

iv. प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 501 से अधिक होने पर 03 उड़नदस्ता 02 सदस्यीय (अधिकतम) अनुमन्य है।

K. **स्पीड–पोस्ट– सत्र 2021–22 की भाँति ही वर्तमान सत्र 2022–23 में गोपनीय सामग्री का परीक्षा केन्द्र से विश्वविद्यालय में प्रेषण भारतीय डाक विभाग के माध्यम से ही किया जाना है। परीक्षा केन्द्र Insured Speed Post से गोपनीय सामग्री विश्वविद्यालय को भेजेंगे। जो कर्मचारी गोपनीय सामग्री को पोस्ट आफिस ले जायेगा उसको वही भुगतान अनुमन्य होगा जैसा पूर्व में गोपनीय सामग्री भेजने के लिये नोडल केन्द्रों को प्राप्त होता था।**

L. नकलविहीन परीक्षा कराने हेतु पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। केन्द्र अपने स्तर से भी नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु व्यवहारिक कदम उठा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1043/सत्तर–1–2022–16(9)/2018, दिनांक–08 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

M. परीक्षाओं में नेत्रहीन तथा अन्य स्थायी/अस्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक के माध्यम से परीक्षा देने की सुविधा जारी रहेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी।

**उत्तरपुस्तिका/OMR आधारित परीक्षा हेतु केन्द्राध्यक्षों को विशेष निर्देश :–**

A. प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिका/OMR को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एजेन्सी या अन्य माध्यम से परीक्षा केन्द्रों को पूर्व निर्धारित समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

B. प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिका/OMR की पैकिंग सामान्यतः प्रतिदिन होने वाले प्रश्नपत्रों के आधार पर की गयी है लेकिन किसी विशेष स्थिति में इसमें परिवर्तन भी हो सकता है।

C. **केन्द्राध्यक्ष प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिका/OMR को डबल लॉक में सुरक्षित रखेगें और प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घण्टे पहले डबल लॉक से परीक्षा नियंत्रण कक्ष में लायेंगे।**

D. प्रश्नपत्रों को परीक्षा नियंत्रण कक्ष में सामान्यतः 30 मिनट पूर्व ही खोला जायेगा। प्रश्नपत्रों को खोलने के तुरन्त बाद यदि कोई विसंगति प्राप्त हो तो उसे अविलम्ब परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय को सूचित करें। उक्त परीक्षाओं में शुचिता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो मोबाईल इत्यादि के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अविलम्ब सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त हेतु समस्त दायित्व केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य का होगा।

**कक्ष निरीक्षकों के लिये निर्देश :–**

A. कक्ष निरीक्षक प्रवेश पत्र के आधार पर ही परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश देगें।

B. उत्तरपुस्तिका/ OMR सीट परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व वितरित करेगें।

C. परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका/ OMR की सभी प्रवष्टियाँ काले व नीले बॉल पेन से भरने हेतु निर्देशित करेंगे।

D. प–23 की सभी प्रविष्टियाँ परीक्षा के समय ही करायी जायेंगी।

E. उत्तरपुस्तिका/OMR पर हस्ताक्षर करते समय कक्ष निरीक्षक सभी प्रविष्टियों का मिलान प्रवेश पत्र और Question Booklet से कर लेंगे।

F. प–23 और उत्तरपुस्तिका / OMR पर प्रविष्टियों के कालम को छोड़कर कहीं और लिखना व निशान लगाना मना है।

G. Question Paper वितरण करते समय सीटिंग प्लान के अनुसार अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में सभी डेस्क पर Question Paper रखनी है और अनुपस्थित छात्रों की Question Paper परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट बाद उठा लेनी है।

H. परीक्षार्थियों को Question Paper परीक्षा प्रारम्भ होने के 05 मिनट पूर्व ही वितरित करनी है और इस बात की घोषणा भी करनी है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम Question Paper के पृष्ठों की संख्या और प्रिन्टिंग के बारे में आश्वस्त हो लें।

I. खराब प्रिन्ट या किसी अन्य कारण से यदि किसी परीक्षार्थी को Question Paper बदलनी पड़ती है तो उसे उसी सिरीज की Question Paper दी जायेगी।

J. परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षार्थी अपनी Question Paper अपने साथ ले जायेगा।

K. लिखित उत्तरपुस्तिका / OMR को अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में लगाकर नियंत्रण कक्ष में जमा करना है।

L. परीक्षा कक्ष में मोबाइल / कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण वर्जित है। कक्ष निरीक्षक भी परीक्षा कक्ष में अपने साथ मोबाइल फोन नहीं रखेंगे।

**केन्द्राध्यक्षों, कक्ष–निरीक्षकों पर प्रहार आदि–**

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करते पकड़े जाने पर अथवा कक्ष–निरीक्षकों की सतर्कता के कारण अनुचित साधन प्रयोग के अपने प्रयत्न में विफल होने पर अनेक परीक्षार्थी कक्ष–निरीक्षकों के प्रति अभद्र व्यवहार कर बैठते हैं। कभी–कभी कक्ष–निरीक्षकों, केन्द्राध्यक्षों आदि पर सामूहिक आक्रमण अथवा घातक प्रहार की भी घटनायें घटित हो जाती हैं, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये केन्द्राध्यक्षों को मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा कक्ष–निरीक्षकों एवं केन्द्राध्यक्षों को परीक्षा आरम्भ के एक माह पूर्व से लेकर दो माह पश्चात् तक की अवधि के लिये लोक सेवक घोषित किया गया है। सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों को भी इस विषय में सूचित कर दिया गया है तथा उनसे असामाजिक तत्वों के नियन्त्रण हेतु आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया जा रहा है।

अनुशासनहीनता एवं प्रहार की अवांछनीय घटनाओं में संलग्न परीक्षार्थियों के विरूद्ध समय से कार्यवाही करने के लिये यह आवश्यक है कि घटना का पूर्ण विवरण पत्र पर साक्षियों के वक्तव्य आदि के साथ तत्काल चार प्रतियों में तैयार करके एक प्रति परीक्षा नियन्त्रक कार्यलय को, एक प्रति स्थानीय पुलिस को तथा एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को पूर्ण आख्या एवं संस्तुति के साथ प्रेषित कर दें। घटना के सम्बन्ध में साक्षियों का पूर्ण विवरण, उनका पूरा पता, पत्र आदि का उल्लेख करते हुये उनका वक्तव्य तथा आपेक्षक की घटना के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण युक्त आपेक्ष–पत्र मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न किया जाये जिससे दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप–पत्र तैयार करने में तथा जांच समितियों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को साक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। घटना केन्द्र की सीमा में हो अथवा केन्द्र के बाहर, यदि उससे कोई कक्ष निरीक्षक प्रभावित है और यह अनुभव करता है कि घटना का सम्बन्ध परीक्षा में उसके निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वाह से है तो उसकी सूचना अवश्य भेजी जाये और अनुशासनहीनता, प्रहार, हत्या, धमकी, अग्निकांड आदि की गम्भीर घटनाओं की सूचना के लिये प्रपत्र का प्रयोग किया जाये। अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े जाने पर प्रपत्र आदि भरने से इन्कार करने की घटनाओं की सूचना अनुचित साधन का प्रयोग सम्बन्धी प्रपत्र में ही दी जाये तथा पी–11 में पूर्ण विवरण यथा–परीक्षार्थी के वक्तव्य एवं हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक की रिपोर्ट एवं केन्द्राध्यक्ष की संस्तुति सहित नकल सामग्री, जिस पर केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित अनिवार्य है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रभावी रूप से प्रयोग करते हुये परीक्षा में अनुशासनहीनता रोकने और परीक्षा कर्मचारियों को अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें। इस दिशा में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से सभी आवश्यक सहायता प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया जाये।

**परीक्षार्थी हेतु आसन व्यवस्था :–**

**प्रश्नपत्रों पर सिरीज अंकित है अतः आसन व्यवस्था पर विशेष ध्यान आवश्यक है। केन्द्र पर परीक्षार्थियों हेतु आसन व्यवस्था (4+2*N) के अनुसार होगी। जहाँ N 1,2,3 इत्यादि है अर्थात् एक Row में 6,8,10 विद्यार्थी ही बैठेंगे।**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 7 | C | 13 | A | 19 | C |
| 2 | B | 8 | D | 14 | B | 20 | D |
| 3 | C | 9 | A | 15 | C | 21 | A |
| 4 | D | 10 | B | 16 | D | 22 | B |
| 5 | A | 11 | C | 17 | A | 23 | C |
| 6 | B | 12 | D | 18 | B | 24 | D |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 11 | C | 21 | A | 31 | C |
| 2 | B | 12 | D | 22 | B | 32 | D |
| 3 | C | 13 | A | 23 | C | 33 | A |
| 4 | D | 14 | B | 24 | D | 34 | B |
| 5 | A | 15 | C | 25 | A | 35 | C |
| 6 | B | 16 | D | 26 | B | 36 | D |
| 7 | C | 17 | A | 27 | C | 37 | A |
| 8 | D | 18 | B | 28 | D | 38 | B |
| 9 | A | 19 | C | 29 | A | 39 | C |
| 10 | B | 20 | D | 30 | B | 40 | D |

आसन व्यवस्था का चार्ट प्रत्येक कक्ष के द्वार पर चिपकाना अनिवार्य है।

**परीक्षार्थियों के लिये निर्देश–**

A. परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान के अनुसार अपने लिये निर्धारित स्थान पर ही बैठना है।
B. परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रवेश–पत्र लाना आवश्यक होगा।
C. परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट तक ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
D. उत्तरपुस्तिका/OMR की सभी प्रविष्टियों को नीले या काले बॉल पेन से सही–सही भरना है।
E. परीक्षा के समय कक्ष निरीक्षक के साथ सहयोग करना है एवं अन्य प्रपत्रों की सभी प्रविष्टियों को सही–सही भरना है।
F. परीक्षा प्रारम्भ होने पर ही Question paper की सील ओपेन करनी है और सर्वप्रथम Question Paper के समस्त पृष्ठों उनकी प्रिन्टिग और प्रश्नों के क्रम को सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा प्रारम्भ करनी है। यदि Question Paper में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति है तो तत्काल कक्ष निरीक्षक के संज्ञान में लाकर उसी सिरीज की नई Question Paper प्राप्त करें।
G. कोविड–19 महामारी के कारण अपने साथ पानी को बोतल, सैनेटाइजर साथ लाना है और मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है।
H. परीक्षा प्रारम्भ होने से 45 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करना है।

I. अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रानिक गैजेट, पर्स और मोबाइल फोन इत्यादि नहीं ले जाना है।
J. उत्तरपुस्तिका/OMR को तोडना एवं मरोड़ना नहीं है।
K. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त प्रश्नपुस्तिका अपने साथ ले जानी है और उत्तरपुस्तिका/OMR को कक्ष निरीक्षक को जमा कर देनी है।

**उत्तरपुस्तिका/OMR और प्रश्न पुस्तिका का वितरण :–**

A. उत्तरपुस्तिका/OMR का वितरण कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व किया जायेगा। उस समय जो परीक्षार्थी उपस्थित होगें। उनको उत्तरपुस्तिका/OMR प्रदान कर दी जायेगी और जैसे–जैसे छात्र आते जायेंगे वैसे–वैसे उनको उत्तरपुस्तिका/OMR प्राप्त होती रहेगी।
B. प्रश्नपत्र का वितरण आसन्न व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा अर्थात् सभी डेस्क पर अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में प्रश्नपत्र रखे जायेंगे एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त जो छात्र/छात्रा अनुपस्थित है उनके प्रश्नपत्र उठा लिये जायेंगे। प्रश्नपत्रों का वितरण परीक्षा प्रारम्भ होने से 05 मिनट पूर्व ही किया जायेगा।
C. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टे उपरान्त परीक्षा कक्ष से Unused Question Booklet और उत्तरपुस्तिका/OMR वापस परीक्षा नियंत्रण कक्ष में मंगवा ली जायेगी।
D. OMR और Question Booklet की पैकिंग के सम्बन्ध में परिवर्तन हो सकता है। यदि Question Booklet के साथ OMR है तब ऐसी स्थिति में 10 मिनट पूर्व ही Question Booklet और OMR परीक्षा कक्ष में वितरित की जायेगी।
E. Question Booklet और उत्तरपुस्तिका/OMR पर उल्लेखित सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

**परीक्षा समाप्ति के बाद पैकिंग :–**

A. लिखित उत्तरपुस्तिका/ OMR की पैकिंग– लिखित उत्तरपुस्तिका/OMR की पैकिंग विषयवार होगी अर्थात् एक पेपर कोड की लिखित उत्तरपुस्तिका/ OMR की पैकिंग एक साथ की जायेगी। लिखित उत्तरपुस्तिका/ OMR को अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है एवं इसके साथ अलग से प–23 को पैक करना है। इसी प्रकार प्रत्येक पेपर कोड के पैकेट बना लेने है। इन पैकेट्स को इकट्ठा कर एक बड़ा पैकेट बनाकर उसको मारकीन के कपड़े में सील कर स्पीड–पोस्ट हेतु प्रेषित करना है। पैकेट में प–8 और प–9 की प्रति भी रखनी है। पैकेट के सबसे ऊपर परीक्षा केन्द्र का नाम, महाविद्यालय का नाम, परीक्षा की तिथि एवं पाली अनिवार्य रूप से अंकित करनी है। स्पीड–पोस्ट परीक्षा नियंत्रक, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर को प्रेषित करनी है। जिन महाविद्यालयों में अन्य महाविद्यालयों का केन्द्र है उनकी भी पैकिंग उपरोक्तानुसार करती है अर्थात् अन्त में किसी भी महाविद्यालय से लिखित उत्तरपुस्तिका/ OMR का एक बड़ा पैकेट ही स्पीड–पोस्ट हेतु जायेगा। यदि पैकेट का वजन 35 किलोग्राम से अधिक हो रहा हो तो दूसरा पैकेट बनाया जायेगा।
B. सभी परीक्षा केन्द्रों को स्पीड–पोस्ट की स्लिप अपने पास सुरक्षित रखनी है।
C. UFM में पकड़े जाने वाले परीक्षार्थी को लिखित उत्तरपुस्तिका/ OMR को सहायक कुलसचिव (UFM) को पूर्व की भांति प्रेषित किया जायेगा।
D. लिखित उत्तरपुस्तिका/ OMR को भी उपरोक्त पैकेट में भेजा जायेगा।
E. किसी भी स्थिति में एक पैकेट का वजन 35 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों हेतु विशेष निर्देश :–

**A.** विश्वविद्यालय द्वारा कोरी उत्तर पुस्तिकायें समस्त नोडल केन्द्रों को उपलब्ध करायी जायेंगी। नोडल केन्द्र प्रभारी नोडल से सम्बद्ध समस्त परीक्षा केन्द्रों को आवश्यकतानुसार कोरी उत्तर पुस्तिकायें उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा केन्द्रों को उपलब्ध कराई गयी उत्तरपुस्तिकाओं का सीरियल नं0 का रिकार्ड नोडल प्रभारी द्वारा रखा जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय को प्रेषित भी किया जायेगा।

**B.** सत्र 2022–23 की मुख्य वार्षिक परीक्षा के लिये समस्त 11 जनपदों की परीक्षाओं हेतु प्रश्नपत्रों का वितरण पूर्व परीक्षाओं की भांति महाविद्यालय प्रश्नपत्र प्रतिदिन पाली वाइज अपने निर्धारित नोडल केन्द्र से प्राप्त किये जायेंगे।

**C.** लिखित उत्तर पुस्तिका/**OMR** शीट पूर्व की भांति परीक्षा केन्द्रों द्वारा इस हेतु सहयुक्त (**Mapped**) किये गये निकटतम पोस्ट आफिस से स्पीड–पोस्ट द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।

**D.** रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकायें जनपद कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई एवं रायबरेली के परीक्षा केन्द्रों द्वारा सायं 06:00 बजे तक अपने नोडल केन्द्र पर जमा करायी जायेंगी तथा नोडल केन्द्रों द्वारा उक्त उत्तरपुस्तिकायें अगले दिन सोमवार को प्रातः 11:30 तक अपने मैप्ड पोस्ट आफिस से स्पीड–पोस्ट द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं जनपद कानपुर नगर के परीक्षा केन्द्रों द्वारा उक्त उत्तरपुस्तिकायें सीधे विश्वविद्यालय के कोडिंग विभाग में जमा करायी जायेंगी।

परीक्षा नियंत्रक

## उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुसूचित साधनों का निवारण) अधिनियम,1998
## (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1998)
## (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिये और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये।

**अधिनियम**

[भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है]

**अध्याय एक–प्रारम्भिक**

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–**

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम,1998 कहा जायेगा।

(2) यह 18 मार्च, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**परिभाषायें–**

**2–इस अधिनियम में–**

(क) "परीक्षा केन्द्र" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिये निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध समस्त परिसर भी है।

(ख) "परीक्षार्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो।

(ग) सार्वजनिक परीक्षा का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा से, जो उसमें विधिपूर्वक सफल घोषित व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिये संचालित की जाये।

(घ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में जबकि वह सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, अनुचित साधन का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित अंकित (रिकार्डेड) प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य यन्त्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

**अध्याय–दो अनुचित साधनों का निवारण**

**अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध–**

3–कोई परीक्षार्थी किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

**प्रश्न–पत्र की अप्राधिकृत प्राप्ति और प्रकटीकरण–**

4–कोई व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्य पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिये प्राधिकार अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न–पत्र के वितरण के लिये निर्धारित समय से पूर्व–

(क) न तो ऐसे प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग को या उसके किसी प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा।

(ख) न ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्न–पत्र से सम्बन्धित या व्युत्पन्न या संदर्भित है।

**ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे परीक्षा कार्य सौंपा गया है, जानकारी देने का निषेध–**

5–कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा जाए, ऐसी स्थिति के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में ऐसा कार्य करने की अनुज्ञा दी

गयी हो, ऐसी सूचना या उसके भाग को जो उसे इस प्रकार सौंपे गये कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आई हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा और न प्रकट करायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा।

**परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध–**

6–कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा के जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहां बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा।

**प्रबन्धतन्त्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी का सहयोग नहीं करेगा–**

7–कोई व्यक्ति जो ऐसी संस्था के जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिये उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबन्धतन्त्र में होते हुए या कर्मचारियों में होते हुए या जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा गया हो, सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी की अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करेगा।

**सार्वजनिक परीक्षा के लिये परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य संस्था का प्रयोग नहीं किया जायेगा–**

8–कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिये परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी संस्था का न तो उपयोग करेगा और न उपयोग करने देगा।

**अध्याय तीन–शास्ति और प्रक्रिया**

**अनुचित साधनों के प्रयोग के लिये शास्ति, जानकारी देने के लिये शास्ति–**

9–जो कोई धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकती है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

10–जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच हजार तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

**उपहति आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति प्रक्रिया–**

11–जो कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु या उसे उपहति या उस पर हमला या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु की या उपहति की या हमले का सदोश अवरोध का भयकारित करने की तैयारी करके धारा 9 या 10 के आधीन दण्डनीय अपराध करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

12–(1) धारा 9 के आधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानती होगा।

(2) धारा 10 या धारा 11 के आधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा।

(3) इस अधिनियम के आधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे।

**अध्याय चार–विविध**

**सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति–**

13–राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य करने के लिये जो इस अधिनियम या तद्न्तर्गत बनाये गये नियमों के आधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने

36

के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

14—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके सम्बन्ध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशन पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

**नियम बनाने की शक्ति**—

15—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

**उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, सन् 1998**

**निरसन और अपवाद**—

16—(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश,1998 एतद्द्वारा निरसित किया जायेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के आधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के आधीनकृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

**अनुसूची** [धारा 2 (ग) देखिये]

1—इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के आधीन माध्यमिक परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षायें।

2—किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या आधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य परिषद् या निकाय द्वारा संचालित कोई परीक्षा।

आज्ञा से,<br>गणेश शंकर पाण्डेय,<br>विशेष सचिव।

## मुख्य बन्डल पर चिपकाये/लिखे जाने का प्रारूप

| | | |
|---|---|---|
| बीमा कृत रू0 1000 | **CSJM UNIVERSITY KANPUR** | |
| **स्पीड पोस्ट** | **EXAM-2022-23** | |
| **BNPL Code - 5000015061** | **EXAMINATION** | **BA./B.Sc./B.Com/ M.A./M.Sc. etc.** |
| | **PAPER CODE** | |
| सेवा में,<br>**परीक्षा नियंत्रक**<br>छत्रपति शाहू जी महाराज<br>विश्वविद्यालय, कानपुर | | |
| | **TOTAL REGISTERED** | |
| | **OMR SHEET** | |
| | **DATE** | |
| प्रेषक : ................................................................ | **MEETING** | |
| केन्द्राध्यक्ष | | |
| महाविद्यालय का नाम : .................................. | | |
| College Code – --------------------- | | |
| मो0नं0–........................................... | | |

## विषयवार उत्तरपुस्तिका / OMR बन्डल पर सूचना का प्रारूप

| CSJM UNIVERSITY KANPUR | |
|---|---|
| MAIN EXAM-2022-23 | |
| EXAMINATION CENTER | |
| COLLEGE NAME | |
| EXAMINATION | BA./B.Sc./B.Com/ M.A./M.Sc. etc. |
| SUBJECT & PAPER CODE | |
| REGISTERED STUDENTS | |
| PRESENT STUDENTS | |
| ABSENT STUDENTS | |
| NO OF OMR SHEET | |
| DATE | |
| MEETING | |

# C.S.J.M. UNIVERSITY, KANPUR

(Daily attendance sheet must be prepared room-wise & Course / Paper wise)

**THEORY/PRACTICAL**

1. Course :
2. Centre Code :
3. Date : / /
4. Shift : MOR ○ AFT ○ EVE ○
5. Subject Code : Alpha Numeric Alpha

I promise that I shall not use unfair means and I swear on Oath that I have nothing in my possession, which may render me liable for a case of unfair means.

| Sl. No. | Roll No. | Answer Book No. | Darken if Present | Darken if Absent | Full Signature of Students |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | ○ | ○ | |
| 02 | | | ○ | ○ | |
| 03 | | | ○ | ○ | |
| 04 | | | ○ | ○ | |
| 05 | | | ○ | ○ | |
| 06 | | | ○ | ○ | |
| 07 | | | ○ | ○ | |
| 08 | | | ○ | ○ | |
| 09 | | | ○ | ○ | |
| 10 | | | ○ | ○ | |
| 11 | | | ○ | ○ | |
| 12 | | | ○ | ○ | |
| 13 | | | ○ | ○ | |
| 14 | | | ○ | ○ | |
| 15 | | | ○ | ○ | |
| 16 | | | ○ | ○ | |
| 17 | | | ○ | ○ | |
| 18 | | | ○ | ○ | |
| 19 | | | ○ | ○ | |
| 20 | | | ○ | ○ | |

Total No. Students : No. of Students appeared: No. of Students absent :

Signature of Invigilator

1 : 2 :

Room No. :

Signature of Centre Superintendent (With Seal)

नोटः- लिखित उत्तर पुस्तिका के सील पैकेट के साथ बिना मुड़े इस उपस्थिति पत्र प-23 को जमा करना अनिवार्य है अन्यथा सील पैकेट विश्वविद्यालय (कोडिंग विभाग) द्वारा स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।

समयबद्ध

संख्या-9/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018

प्रेषक,

डॉ0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 15 नवम्बर, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-04/2018/101/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उपर्युक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं संघटक महाविद्यालयों में स्व-केन्द्र के स्थान पर यथासंभव निकटतम महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय किन्तु छात्राओं के लिये स्व-केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।

(2) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन महाविद्यालयों की छात्राओं को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी वहां वाह्य अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ वाह्य महाविद्यालयों से नियुक्त किया जाय।

(3) विगत तीन वर्षों में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति/शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(4) महविद्यालयों की आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सड़क मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाय तथा उक्त सुविधाओं के अभाव में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(5) जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 लगा होना अनिवार्य होगा।

(6) परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्या एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहां कक्ष/हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे में वायस रिकार्डर लगा होना अनिवार्य है।

(7) परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध पक्के/लिंटर्ड शिक्षण कक्षों (प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष को छोड़ कर) में उपलब्ध फर्नीचर के अनुसार एक पाली की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात महाविद्यालय की धारण क्षमता (शिक्षण कक्षों पर परीक्षा देने हेतु एक परीक्षार्थी के लिये 20 वर्गफुट (1.86 वर्गमी0) का क्षेत्रफल निर्धारित है, के सापेक्ष ही परीक्षार्थी आवंटित किये जाने की व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जाय।

(8) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित एवं समुचित रख-रखाव के लिये कम से कम दो लोहे की अलमारियां सहित स्ट्रांग रूम की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(9) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

(10) परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध शिक्षण कक्षों की संख्या के सापेक्ष उनकी धारण क्षमता, फर्नीचर आदि को दृष्टिगत रखते हुये सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाये, तत्पश्चात स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जायेगा।

(11) जिन महाविद्यालयों के परिसर में प्रबन्धक/प्राचार्य के आवास निर्मित हैं, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(12) जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(13) जिन महाविद्यालयों के डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड न हों, उन्हें यथासंभव परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।

(14) गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(15) जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(16) परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।

(17) किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम असिस्टेन्ट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) परीक्षाओं में भी पूर्व की भांति प्रत्येक परीक्षा कक्ष में (परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुये) दो कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जो शिक्षक ड्यूटी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों की अवहेलना करेंगे या सौंपे गये कार्यों को नहीं करेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा तद्नुसार उनका वेतन काट लिया जाय।

(19) परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए-4 साइज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा-नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्येक पाली में चस्पा किया जाय।

(20) परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुडे. व्यक्तियों से इतर वाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा।

(21) परीक्षाओं में भविष्य में औचक निरीक्षण हेतु गठित सचल दल में महिला निरीक्षणकर्ता की अनिवार्य व्यवस्था की जाय तथा जिन परीक्षा केन्द्रों पर महिला परीक्षार्थी आवंटित की गयी हैं वहां पर महिला कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरूष सदस्य द्वारा महिला परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जायेगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला निरीक्षणकर्ता द्वारा ही की जायेगी। परीक्षा कक्ष में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक ही प्रवेश कर सकेंगे अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।

(22) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय में अग्निशमन के निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रबंध अनिवार्य होगा। अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्सटींग्विशर, पानी की बाल्टियां एवं रेत आदि की व्यवस्था वांछनीय होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत होने चाहिए।

(23) परीक्षा केन्द्र बनने वाले महाविद्यालयों में विद्युत की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबंध होना अनिवार्य होगा।

(24) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होना अति आवश्यक होगा एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना अति आवश्यक होगा।

(25) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सर्वऋतु मार्ग से जुड़ा हो, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके।

(26) राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय।

(27) एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

(28) यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।

(29) एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्धतंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

केन्द्रों पर उसी प्रबन्धतंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी जाय।

(30) विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है, विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है तथा एक ही प्रबन्धतंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्धतंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है।

(31) परीक्षा केन्द्र यथासम्भव 08 कि0मी0 की परिधि के महाविद्यालयों में निर्धारित किया जाय।

(32) वर्ष 2019 की परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही महाविद्यालय में केन्द्र आवंटित किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को जहां स्वकेन्द्र/स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहां उन्हें अधिकतम 05 कि0मी0 की परिधि के केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। यह सुविधा उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत छात्राओं को भी उपलब्ध कराई जाय जो सहशिक्षा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एक महाविद्यालय की छात्राओं को अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित नहीं किया जाय।

(33) दिव्यांग छात्र/छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, तो स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाय। अन्यथा स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थिति स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु समायोजित किया जाएगा।

(34) जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए है तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहां के प्राचार्य डिबार है वहां वाहय केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

(35) परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति अथवा अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित नही है, उन्हें प्रवेश न दिया जाय।

(36) प्रश्नपत्र यथासम्भव शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में वितरित/प्राप्त किये जायें।

(37) परीक्षा केन्द्रों के आंवटन हेतु आवेदन केवल आनलाइन किया जायेगा, निश्चित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदन के समय नियमावली में वांछित सभी सूचनाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा पूर्ण विवरण के साथ देनी होगी।

(38) समय-समय पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आंवटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।

(39) यथा सम्भव उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा समाप्ति के 02 घण्टे के भीतर सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में सम्बन्धित जिले के शासकीय महाविद्यालय के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा की जायेगी।

(40) जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।

(41) परीक्षा केन्द्र के भीतर पुस्तक, गाइड, कम्प्यूटर, मोबाइल व कैलकुलेटर अनुमन्य नही होंगे, इसकी सूचना पहले से ही विद्यार्थियों को देनी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(42) समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद नोडल अधिकारी होंगे। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रारूप पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की ई मेल [इन्फो एट द रेट डीएचईयूपी डाट कॉम] पर दैनिक रूप से रात्रि 09:00 बजे तक प्रेषित की जाय।

(43) निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 अनिता भटनागर जैन)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2018/1036(1)/सत्तर-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-01/2020/17/सत्तर-1-2020-16(9)/2018

प्रेषक,

आर0 रमेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2020

विषयः-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-09/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 (यथा संशोधित) द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उपर्युक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैः-

1- जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे के डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।

2- परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याए एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहां कक्षहाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे में वायस रिकार्डर एवं डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।

3- सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, तत्पश्चात स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय।

4- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित एवं समुचित रख-रखाव के लिये कम से कम दो लोहे की अलमारियां सहित स्ट्रांग रूम की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

5- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

6- महाविद्यालयों की आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सड़क मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाय तथा उक्त सुविधाओं के अभाव में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

7- परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन युक्त पक्के, लिंटर्ड शिक्षण कक्षों (प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष को छोड़ कर) में उपलब्ध फर्नीचर के अनुसार एक पाली की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात महाविद्यालय की धारण क्षमता

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(शिक्षण कक्षों पर परीक्षा देने हेतु एक परीक्षार्थी के लिये 20 वर्गफुट (1.86 वर्गमी0) का क्षेत्रफल निर्धारित है, के सापेक्ष ही परीक्षार्थी आवंटित किये जाने की व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जाय।

8- राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं संघटक महाविद्यालयों से यथासंभव 5 से 10 किमी0 की परिधि में आने वाले महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जायें। छात्राओं के लिये स्व-केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।

9- परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही महाविद्यालय में केन्द्र आवंटित किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को जहां स्वकेन्द्र स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहां उन्हें अधिकतम 05 कि0मी0 की परिधि के केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। यह सुविधा उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत छात्राओं को भी उपलब्ध कराई जाय जो सहशिक्षा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एक महाविद्यालय की छात्राओं को अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित नहीं किया जाय।

10- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन महाविद्यालयों की छात्राओं को स्व-केन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी वहां वाह्य अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ वाह्य महाविद्यालयों से नियुक्त किया जाय।

11- विगत तीन वर्षों में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के निरीक्षण/ पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

12- जिन महाविद्यालयों के परिसर में प्रबन्धक/प्राचार्य के आवास निर्मित हैं, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

13- जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

14- जिन महाविद्यालयों के डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड न हों, उन्हें यथासंभव परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।

15- गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

16- जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

17- परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।

18- किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम असिस्टेन्ट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जायें।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19- परीक्षाओं में भी पूर्व की भांति प्रत्येक परीक्षा कक्ष में (परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुये) दो कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जो शिक्षक ड्यूटी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों की अवहेलना करेंगे या सौंपे गये कार्यों को नहीं करेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा तद्नुसार उनका वेतन काट लिया जाय।

20- परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए-4 साइज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा-नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्यके पाली में चस्पा किया जाय।

21- परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर वाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा।

22- परीक्षाओं में भविष्य में औचक निरीक्षण हेतु गठित सचल दल में महिला निरीक्षणकर्ता की अनिवार्य व्यवस्था की जाय तथा जिन परीक्षा केन्द्रों पर महिला परीक्षार्थी आवंटित की गयी हैं वहां पर महिला कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरूष सदस्य द्वारा महिला परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जायेगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला निरीक्षणकर्ता द्वारा ही की जायेगी। परीक्षा कक्ष में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक ही प्रवेश कर सकेंगे, अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय में अग्निशमन के निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रबंध अनिवार्य होगा। अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्सटींग्विशर, पानी की बाल्टियां एवं रेत आदि की व्यवस्था वांछनीय होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत होने चाहिए।

23- परीक्षा केन्द्र बनने वाले महाविद्यालयों में विद्युत की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबंध होना अनिवार्य होगा।

24- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होना अति आवश्यक होगा एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना अति आवश्यक होगा।

25- परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सर्वऋतु मार्ग से जुड़ा हो, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके।

26- राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय।

27- एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

28- यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।

29- एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्ध-तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्ध तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी जाय।

30- विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है, विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है तथा एक ही प्रबन्ध-तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्ध-तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है।

31- दिव्यांग छात्र/छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, तो स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाय। अन्यथा स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थिति स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु समायोजित किया जाएगा।

32- जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए है तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहाँ के प्राचार्य डिबार है वहां वाह्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

33- परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति अथवा अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित नही है, उन्हें प्रवेश न दिया जाय।

34- प्रश्नपत्र यथासम्भव शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में वितरित/प्राप्त किये जायें।

35- परीक्षा केन्द्रों के आंवटन हेतु आवेदन केवल आनलाइन किया जायेगा, निश्चित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदन के समय शासनादेशों में वांछित सभी सूचनाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।

36- समय-समय पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आंवटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।

37- यथा सम्भव उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा समाप्ति के 02 घण्टे के भीतर सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में सम्बन्धित जिले के शासकीय महाविद्यालय के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा की जायेगी।

38- जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।

39- परीक्षा केन्द्र के भीतर पुस्तक, गाइड, कम्प्यूटर, मोबाइल व कैलकुलेटर अनुमन्य नही होंगे, इसकी सूचना पहले से ही विद्यार्थियों को देनी होगी।

40- (1) समस्त परीक्षा केन्द्रो पर राउटर लगाये जाने के पश्चात् केन्द्र व्यवस्थापको/ प्राचार्यो द्वारा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संचालन की वेबकास्टिंग व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापकों/प्राचार्यों द्वारा केन्द्र में लगे **DVR** का आई0पी0 एड्रेस उनकी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड एक सील बन्द लिफाफे में परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व ही सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जायेगा, जिसे जनपदीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में सुविधानुसार स्थापित किया जा सकता है कन्ट्रोल रूम हेतु आवश्यक कम्प्यूटर्स आदि की व्यवस्था क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे महाविद्यालयो से लेकर की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र नही बनें हैं।

(3) कन्ट्रोल रूम में प्रत्येक कम्प्यूटर पर अधिकतम 15 से 16 परीक्षा केन्द्रो के सतत् निरीक्षण हेतु राजकीय महाविद्यालयों के दो-दो शिक्षकों की ड्यूटी लगायी जायेगी। निरीक्षण में परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार की अनुचित स्थिति परिलक्षित होने पर अथवा सी0सी0टी0वी0 आदि सही ढ़ग से कार्य नहीं करने पर उसकी सूचना तत्काल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सचल दलों को दी जायेगी। इसके साथ ही इसको दैनिक रूप से एक निरीक्षक पंजिका में भी अंकित किया जायेगा।

(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर बनाये गये इस कन्ट्रोल रूम की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जायेगी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

41- समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यतकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज नोडल अधिकारी होंगे। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रारूप पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ई मेल info@dheup.com पर दैनिक रूप से रात्रि 09:00 बजे तक प्रेषित की जाय।

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणेतर कार्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
आर0 रमेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- संख्या-01/2020/17(1)/सत्तर-1-2020-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के अनुश्रवण हेतु प्रारूप-

दिनांक

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम-
परीक्षा की तिथि/पाली-

| परीक्षार्थियों की संख्या | | | अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या | | | अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही, विषयवार | | | | अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित महाविद्यालय के प्रवन्धन/शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों /अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 |
| क | ख | ग | क | ख | ग | क | ख | ग | घ | क | ख | ग | |
| छात्र | छात्राएं | कुल | छात्र | छात्राएं | कुल | छात्र | छात्राएं | कुल | कार्यवाही | अलग-अलग संख्या | कुल | कार्यवाही | |
| | | | | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या--1043 / सत्तर--1--2022--16(9) / 2018

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग--1 लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2022

विषय:--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओ की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति--व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या--01 / 2020 / 17 / सत्तर--1--2020--16(9) / 2018 दिनांक 03 जनवरी, 2020 एवं शासनादेश संख्या--410 / सत्तर--1--2020--16(9) / 2018, दिनांक 04 मार्च, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा--निर्देश निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति--व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :--

1. सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, तत्पश्चात अपरिहार्य परिस्थिति में ही स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय।
2. जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे के डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा।
3. परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्याए एक कक्ष मे न्यूनतम दो व जहां कक्षहाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे मे वायस रिकार्डर एवं डी0वी0आर0 के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य है।
4. विगत तीन वर्षों मे सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के निरीक्षण / पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये

जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

5. जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

6. जिन महाविद्यालयों के डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड न हों, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।

7. गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हो और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

8. जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

9. परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।

10. किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम असिस्टेन्ट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जाये।

11. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।

12. एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्ध–तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रो पर उसी प्रबन्ध तंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी जाय।

13 विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है,

विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है तथा एक ही प्रबन्ध–तंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रो पर उसी प्रबन्ध–तंत्र मे संचालित महाविद्यालय के अध्यापको को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है।

14 जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए है तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप मे नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहाँ के प्राचार्य डिबार है वहा वाह्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

15 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आवंटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।

15 जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।

2– वर्तमान में आसन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं को पूर्वोक्त उद्देश्यों व शासन की जीरो टालरेन्स की नीति के अनुरूप सकुशल सम्पन्न करने के दृष्टिगत निम्नवत् अतिरिक्त निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. विश्वविद्यालय के कुलपति केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध मे पुनः अपने स्तर से समीक्षा कर लें व शासन के दिशा–निर्देशों के अनुपालन होने की स्थिति से आश्वस्त हो जायें।
2. विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर परीक्षा केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी तथा संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध मे उन्हें अवगत भी कराया जायेगा साथ ही तिथिवार परीक्षा कार्यक्रम भी उन्हें उपलब्ध कराते हुये सहयोग हेतु अनुरोध किया जायेगा।
3. परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सम्बन्धित ज़िलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारीगण से वर्चुअल माध्यम से बैठक कर प्रभावी रणनीति बनाये जाने हेतु विचार–विमर्श कर लिया जाय।
4. किसी भी विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र पर कोई भी प्रतिकूल घटना संज्ञान में आने पर कुलसचिव द्वारा तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया जायेगा तथा त्वरित कार्यवाही की जायेगी एवं शासन को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। इस हेतु कुलसचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. विश्वविद्यालय के कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव द्वारा परीक्षा अवधि में प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा स्वच्छ छवि के अधिकारीगण के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या मे उड़ाकादल गठित किये जाय। आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियो को भी उड़ाकादल का नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है।
7. यथा आवश्यकता जिला विद्यालय निरीक्षक का भी सहयोग लिया जाय।
8. समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियो की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज

नोडल अधिकारी नामित किया गया है। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु निर्धारित किये गये प्रारूप पर निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ई-मेल infodheup21@gmail.com पर दैनिक रूप से रात्रि 09:00 बजे तक सूचना प्रेषित की जाय।

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र/छात्राओं, महाविद्यालय के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय। यह भी ध्यातव्य है कि परीक्षा केन्द्र के निर्धारण, परीक्षाओं के संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, गोपनीयता, अनुचित साधनों के नियन्त्रण हेतु प्रदान किये गये निर्देशों से विचलन किये जाने, व्यतिक्रम होने या निर्देशों का उल्लंघन किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1043(1)/सत्तर-1-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
9- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित कर तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राम जन्म चौहान)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओ के अनुश्रवण हेतु प्रारूप–

दिनांक

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम–
परीक्षा की तिथि / पाली–

| परीक्षार्थियों की संख्या | | | अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या | | | अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही विषयवार | | | | अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित महाविद्यालय के प्रबन्धन / शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों / अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण | | | परीक्षा से सम्बन्धित किसी अप्रिय घटना होने अथवा न होने की सूचना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | | | 3. | | | | 4 | | | 5 |
| क | ख | ग | क | ख | ग | क | ख | ग | घ | क | ख | ग | |
| छात्र | छात्राएं | कुल | छात्र | छात्राएं | कुल | छात्र | छात्राएं | कुल | कार्यवाही | अलग–अलग संख्या | कुल | कार्यवाही | |
| | | | | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम